

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.20(14)न्याय/2006

जयपुर दिनांक 2.6.2021

अधिसूचना

नोटेरी अधिनियम, 1952 एवं नियम, 1956 के नियम 4 के अन्तर्गत नीचे अंकित स्थानों के लिये उनके सम्मुख अंकित नोटेरी के रिक्त पद/पदों हेतु उक्त स्थानों पर कार्यरत अधिवक्ताओं तथा नियमानुसार पात्र अन्य अभ्यर्थियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

प्रार्थना-पत्र उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में एवं उक्त नियमों में वर्णित शर्तों की पूर्ति करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दिनांक 30.07.2021 को सांय 6 बजे तक नियमानुसार सक्षम स्तर के मार्फत अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास पहुँच जाने चाहिए। फॉर्म II में नोटेरी हेतु नियुक्ति बाबत आवेदन करने बाबत अभ्यर्थी उक्त दिनांक व समय तक सक्षम प्राधिकारी (अधोहस्ताक्षरकर्ता) को आवेदन पत्र सीधे पेश कर सकते हैं। दिनांक 30.07.2021 के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति के पश्चात नियुक्ति से संबंधित समस्त जानकारी विभाग की वेब साईट www.law.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

एक अभ्यर्थी एक ही स्थान/क्षेत्राधिकार में आवेदन करेगा यदि वह एक से अधिक स्थानों/क्षेत्राधिकारों के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे समस्त आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त समझे जाएँगे। समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण/ न्यायालयों अथवा अधिकरणों के पीठासीन अधिकारीगण से यह निवेदन है कि वे उनके मार्फत प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्रों को अंतिम दिनांक 30.07.2021 तक इस विभाग में पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

- नोट:-** 1. विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग), भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 25.05.2021 के अनुसार नोटेरी नियम, 1956 के नियम 3 में खण्ड (कख) के पश्चात (कग) जोड़ा गया जिसके अनुसार:- "दिव्यागंजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खण्ड (द) में यथापरिभाषित बेंचमार्क अक्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो"
- उपरोक्त के अनुसार दिव्यागंजन भी नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे।
2. इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्रेषित/प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर इस अधिसूचना के तहत कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.संख्या	जिला	स्थान	रिक्त पदों की संख्या
1.	अजमेर	अजमेर शहर	02
		केकड़ी	01
		ब्यावर	01
		पीसांगन	01
		नसीराबाद	01
2.	अलवर	अलवर शहर	04
		तिजारा	01
		थानागाजी	01
		किशनगढ़बास	02
		रामगढ़	02
		राजगढ़	01
		बहरोड	02
नीमराणा	01		



3.	भरतपुर	भरतपुर शहर	02
		बयाना	01
		पहाड़ी	01
		नदबई	01
4.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा शहर	02
		बनेड़ा	02
		गुलाबपुरा	02
		दुरड़ा	01
		खजुरी	01
		जहाजपुर	01
5.	बांसवाड़ा	गढ़ी	01
6.	बारां	बारां	03
		छबड़ा	01
		अन्ता	01
7.	बूंदी	बूंदी शहर	02
		केशोरायपाटन	01
8.	बीकानेर	बीकानेर शहर	03
		पूगल	02
		कोलायत	01
9.	बाड़मेर	बाड़मेर	02
		बायतू	01
10.	चूरू	चूरू शहर	03
		सरदार शहर	01
		राजगढ़	01
		तारानगर	01
11.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ शहर	04
		बैगू	02
		राशमी	01
		भदेसर	01
12.	दौसा	दौसा शहर	03
		मण्डावर (त.महवा तक)	01
		बसवा	01
		सिकराय	01
13.	धौलपुर	धौलपुर शहर	02
		राजाखेड़ा	01
		बाड़ी	01
		बसेडी	01
14.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	01
		सागवाड़ा	02
15.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर शहर	06
		सूरतगढ़	01
		रायसिंहनगर	01
		विजयनगर	01
		घड़साना	01
		अनुपगढ़	01
16.	हनुमानगढ़	हनुमागढ़ शहर	02
		संगरिया	01
		भादरा	01
		पीलीबंगा	02
		छानीबड़ी	01
		उबलीराठान	01
17.	झुन्झुनू	झुन्झुनू शहर	02
		उदयपुरवाटी	01

का


		खेतड़ी	01
18.	जयपुर	जयपुर शहर	14
		सांगानेर	02
		चौमू	01
		आंधी (त.जमवारामगढ़ तक)	01
		सांभर	01
		बगरू	01
		दूदू	01
		मुण्डोता (त.आमेर तक)	01
		19.	जोधपुर
फलौदी	01		
लोहावट	01		
बालेसर	01		
झंवर (त.लूणी तक)	01		
शेरगढ़	02		
बाप	01		
20.	जालौर	जालौर शहर	01
		सायला	01
		भीनमाल	01
		आहोर	01
21.	जैसलमेर	जैसलमेर शहर	01
		नोक (उपखंड पोकरण तक)	01
22.	झालावाड़	झालावाड़ शहर	02
		भवानीमंडी	01
		पिडावा	01
23.	कोटा	कोटा शहर	05
		लाडपुरा	02
		पीपल्दा	01
		चेचट	01
		ईटावा	01
24.	करौली	करौली शहर	04
		हिण्डोन	01
		मंडरायल	01
25.	नागौर	नागौर शहर	02
		डीडवाना	04
		कुचामनसिटी	01
		जायल	01
		खींवसर	01
		मोलासर (तह. डीडवाना तक)	01
		छोटी खाटू	01
		26.	पाली
		सोजत	01
		जैतारण	01
27.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ शहर	01
		धरियावद	01
		अरनोद	01
28.	राजसमंद	राजसमंद शहर	04
		रेलमगरा	01
		कुम्भलगढ़	01
		आमेट	01
		भीम	01
29.	सिरोही	सिरोही शहर	01
		शिवगंज	01

७१

30.	सवाई माधोपुर	बरनाला (त.बामनवास)	01
		भांवरा	01
		खण्डार	01
		गंगापुरसिटी	01
31.	सीकर	सीकर शहर	03
		नीमकाथाना	02
		दांतारामगढ	01
32.	टोंक	निवाई	02
		देवली	01
33.	उदयपुर	उदयपुर शहर	03
		सलूम्वर	02
		मावली	02
		सराड़ा	01
		गिर्वा	01
		नयागांव (त.खरवाड़ा तक)	01
		लसाड़िया	01
		कोटडा	01
		ऋषभदेव	01
		झाडोल	01
		कुल रिक्त पद	


नोट:- उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष विचाराधीन सिविल रिट संख्या 21390/2018 एवं 25239/2018 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष विचाराधीन सिविल रिट संख्या 15201/2018 एवं 15866/2018 के कारण कुल 04 पद जयपुर, बून्दी, नावां एवं भोपालगढ में एक-एक पद रिक्त रखे गये है इन पर माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन विनिश्चय किया जायेगा।

आवेदन पत्र के दायें कॉर्नर पर अधिसूचना क्रमांक एवं स्थान जहाँ के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जावे, मोटे अक्षरो में अंकित किया जावे।

आज्ञा से

 (विनोद कुमार भारवानी)
 प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी (वाई), मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. समस्त जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
4. अध्यक्ष, संबंधित बार एसोसिएशन।
5. संबंधित तहसीलदार।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज जयपुर को राज पत्र के विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव